

डिक्री व मुकदमे इत्दाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल (नागौर)
पीठासीन अधिकारी श्री- ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या- 147/2022

रण-
रामनिवास पुत्र नारायणराम
सुरेश कुमार पुत्र नारायणराम
जाति- ब्रह्मण, निवासी- लूणसरा, तहसील- जायल (नागौर)

बनाम

दीगण -

- नारायणराम पुत्र भैरुबक्ष
तुलछीराम पुत्र नारायणराम
मुकेश कुमार पुत्र नारायणराम
सम्पत कुमार पुत्र नारायणराम (फोट)
4/1. लक्ष्मीदेवी पत्नि सम्पत कुमार
4/2. भारती पुत्री सम्पत कुमार
4/3. महेन्द्र कुमार पुत्र सम्पत कुमार
4/4. शिवम कुमार पुत्र सम्पत कुमार
जातियान- ब्रह्मण, निवासी- लूणसरा, तहसील जायल जिला नागौर।
5. तहसीलदार जायल।



दावा बाबत बंटवाडा खेताय एवं रेकर्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 53,88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

स्थिति :-

1. श्री एस.एस. कालवी अधिवक्ता वादी।
2. प्रतिवादी संख्या 5 राजपैरोकार उपस्थित

- :: डिक्री आदेश :: -

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री एस.एस.कालवी अधिवक्ता वादीग मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या संख्या 7 राज पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि -

1. वादी रामनिवास के हक बंट कब्जा काश्त व खातेदारी में मौजा लूणसरा के खेत ख.न. 915 रकबा 1.7482 हेक्टेयर मे से 1.5783 हेक्टेयर उतरी भाग घोषित किया जाता है।
2. वादी सुरेश कुमार के हक बंट कब्जा काश्त व खातेदारी में मौजा लूणसरा के ख.न. 1127 रकबा 1.1901 हेक्टेयर में से दक्षिणी तरफ का 1.6187 हेक्टेयर घोषित किया जाता है।
3. प्रतिवादी सं. 2 तुलछीराम के हक बंट कब्जा काश्त व खातेदारी में मौजा लूणसरा के खेत ख.न. 915 रकबा 1.7482 हेक्टेयर मे से 0.1699 हेक्टेयर दक्षिणी भाग तथा ख. न. 914 रकबा 1.4083 हेक्टेयर सम्पूर्ण घोषित किया जाता है।

डो. 1
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

प्रतिवादी सं. 3 मुकेश कुमार के हक बंट कब्जा काश्त व खातेदारी में मौजा लूणसरा के खेत ख.न. 1126 रकबा 2.1125 हेक्टेयर मे से उतरी भाग 1.6187 हेक्टेयर भाग घोषित किया जाता है।

प्रतिवादी सं. 4 सम्पतकुमार के का.मु. 4/1 से 4/4 क्रमशः लक्ष्मीदेवी, भारती, महेन्द्र कुमार, व शिवम कुमार के सयुक्त हक बंट कब्जा काश्त व सहखातेदारी में मौजा लूणसरा के खेत ख.न. 844 रकबा 1.4407 हेक्टेयर सम्पूर्ण, ख.न. 1126 रकबा 2.1125 हेक्टेयर मे से 0.4987 हेक्टेयर दक्षिणी भाग, तथा ख.न. 1127 रकबा 1.1901 हेक्टेयर मे से 0.1699 हेक्टेयर उतरी भाग घोषित किया जाता है।

प्रतिवादी सं. 1 नारायणराम के हक बंट में इन खेताय मे से बंट नही रखने तथा अपना हक हिस्सा स्वेच्छा से त्याग करने में इन खेताय मे से प्रतिवादी सं. 1 का नाम हटाये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार जायल को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण पुश्तैनी बडेर की भूमि त्याग द्वारा अन्तरण का होने से आवश्यक स्टाम्प शुल्क वादी द्वारा कार्यालय पंजीयक जायल में जमा कराने पर अन्तिम डिक्री अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल रामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा जारी होकर तहसीलदार जायल को आदेश की तकमील मे तहरीर जारी हो।

तीज - मुबलिंग - बाबत - खर्चा इस मुकदमे के मय व भारह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक - की अदा करे। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13/12/2022 को जारी की गई।



(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

मुदायराह	रुपया	पैसे	मुदायराह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
मुत् इजराज हुक्मनामा			बाबत हुराय हुक्मनामा		
मुत् फरिक			मुत् फरिक		
			दर0 तलबाना		
जान			मीजान		

इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, दर्ज करना चाहिये।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल